न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 61/2019

1 गोविन्दराम पुत्र जैसा।
2 कैलाशचन्द्र पुत्र झूंथाराम।
3 सीताराम पुत्र बद्रीराम।
4 मोहनलाल पुत्र बद्रीराम।
5 रामनिवास पुत्र बद्रीराम।
6 जीतू पुत्री बद्रीराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामू का बास गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शान्ति बेवा भींवाराम वर्तमान शान्ति पत्नी चुनाराम जाति जाट निवासी ग्राम रामू का बास तहसील व जिला सीकर।
2 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथमल।
3 चन्द्री देवी पत्नी भागीरथमल।
4 रिछपाल पुत्र परमा।
5 जगदीश पुत्र परमा।
6 अणची बेवा परमा समस्त जाति जाट निवासीगण रामू का बास गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
7 सीताराम पुत्र जवाहराराम।
8 राजेन्द्र पुत्र सीताराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
9 महावीर पुत्र छोटूसिंह ।
10 भंवरसिंह पुत्र महावीर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण रामू का बास गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2

11 परमाराम पुत्र हनुमानाराम।
12 गोपीराम पुत्र हनुमानाराम।
13 महावीर पुत्र हनुमानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामू का बास गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
14 मदनलाल पुत्र चुन्नाराम।
15 बाबूलाल पुत्र चुन्नाराम।
16 कुरडाराम पुत्र चुन्नाराम।
17 मनसी बेवा चुन्नाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
18 नन्दलाल पुत्र चन्द्रा।
19 रामेश्वर पुत्र चन्द्रा।
20 बनवारी पुत्र चन्द्रा।
21 श्रीपाल पुत्र चन्द्रा।
22 राजेन्द्र पुत्र चन्द्रा समस्त जाति जाट निवासीगण दासा की ढ़ाणी तहसील व जिला सीकर।
23 सुप्यार कंवर पत्नी महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी रामू का बास तहसील व जिला सीकर।
24 रेणु देवी पत्नी जयन्त कुमार जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
25 हरदयाल सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी रामू का बास तहसील व जिला सीकर।
26 राजेन्द्र सिंह पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
27 जयन्त कुमार पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
28 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
29 भू अवाप्ति अधिकारी सीकर जिला सीकर।
30 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संख्या 52 सीकर रींगस मार्ग।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.06.2019 मुकदमा नम्बर 331/2014 बउनवानी शान्ति देवी बनाम बद्रीराम वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–14-1-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 331/2014 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी/रेस्पोडेंट संख्या 01 ने विचारण न्यायालय में एक वाद बाबत उदघोषणा एवं बंटवारा तथा वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 एक ही पूर्वज जैसा की संतान है तथा ग्राम गोकुलपुरा हाल रामू का बास पटवार हल्का गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में भूमि पुराने खसरा नम्बर 391/1 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1006 रकबा 2.97 हैक्टेयर अवस्थित है जो जैसा के नाम थी तथा प्रार्थीया जैसा के पुत्र भींवा की पत्नी है परन्तु प्रार्थीया के ससुर की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरण झंथा, बदरी, गोविन्दा व प्रार्थीया के नाम दर्ज करने का आदेश पंचायत द्वारा जारी किया गया परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम छोड़कर तीनो पुत्रों का नाम अंकित कर दिया। इसलिए प्रार्थीया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने व अप्रार्थीगण को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिबंधित किया जावें कि वो कब्जे काश्त में दखंलअदाजी नही करे विक्रय नही करे व निर्माण नही करें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 01 शांति द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में अप्रार्थी संख्या 01 बद्रीराम का स्वर्गवास दिनांक 26.01.2019 को एवं अप्रार्थी संख्या 03 का स्वर्गवास माह सितम्बर 2018 में हो गया था। जिनके वारिसान को कायम मुकाम बनाये बिना व बिना मृत पक्षकारो के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए मृत व्यक्तियों के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 01 व 02 तथा अपीलांट संख्या 3 ता 6 के पिता ने जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत कर यह बखूबी साबित किया था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के पति भींवाराम, भारूराम के गोद चला गया था जिस बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा कोई खण्डन नही किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन एवं दस्तावेज से प्रमाणित था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 का या इसके पूर्व पति भींवा का जैसा की सम्पतियों से कोई सम्बंध सरोकार नही था तथा जैसा के जीवनकाल में ही भींवा का स्वर्गवास हो जाने पर भींवा के पत्नि द्वारा पुर्नविवाह कर लेने से यह साबित था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त न तो रहा है न ही वर्तमान में है। उसके बावजूद प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में होते हुए भी प्रार्थीया/ रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में मानकर कानूनी त्रुटि की गयी है इसलिए निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 01 शांति द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में अप्रार्थी संख्या 01

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बद्रीराम का स्वर्गवास दिनांक 26.01.2019 को एवं अप्रार्थी संख्या 03 का स्वर्गवास माह सितम्बर 2018 में हो गया था। जिनके वारिसान को कायम मुकाम बनाये बिना व बिना मृत पक्षकारो के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए मृत व्यक्तियों के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 01 व 02 तथा अपीलांट संख्या 3 ता 6 के पिता ने जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत कर यह बखूबी साबित किया था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के पति भींवाराम, भारूराम के गोद चला गया था जिस बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा कोई खण्डन नही किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन एवं दस्तावेज से प्रमाणित था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 का या इसके पूर्व पति भींवा का जैसा की सम्पतियों से कोई सम्बंध सरोकार नही था तथा जैसा के जीवनकाल में ही भींवा का स्वर्गवास हो जाने पर भींवा के पत्नि द्वारा पुर्नविवाह कर लेने से यह साबित था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त न तो रहा है न ही वर्तमान में है। उसके बावजूद प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में होते हुए भी प्रार्थीया/ रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में मानकर विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14-1-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर